

**बाल संरक्षण जांच और  
संदिग्ध दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे के संरक्षण पर  
मल्टी-डिसिप्लिनरी केस कॉन्फ्रेंस  
-- अभिभावकों के लिए नोट**

सभी बच्चे उचित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक देखभाल के साथ स्वस्थ रूप से बड़े होने के लायक हैं। उन्हें नुकसान और शोषण से बचाया जाना चाहिए। अपने बच्चों की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना सभी माता-पिता/अभिभावक और देखभालकर्ताओं की जिम्मेदारी है।

हम समझते हैं कि माता-पिता/देखभालकर्ताओं को कई ऐसी कठिनाइयां हो सकती हैं जो उन्हें अपने बच्चों को हर समय उचित देखभाल और मार्गदर्शन करने में असमर्थ बनाती हैं। हालांकि, यदि यह मानने के कारण हैं कि माता-पिता/देखभालकर्ताओं का कोई व्यवहार या उपेक्षा बच्चे के शारीरिक/मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और विकास को खतरे में डालता है या बाधित करता है, तो सभी कर्मियों जो बच्चे के संपर्क में आ सकते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वे बच्चे की सुरक्षा की रक्षा और सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा करने के लिए "बच्चे की दुर्व्यवहार से सुरक्षा – मल्टी-डिसिप्लिनरी सहयोग के लिए प्रक्रियात्मक मार्गदर्शिका" के अनुसार आवश्यक कदम उठाएं। उन्हें समाज कल्याण विभाग (SWD) की परिवार एवं बाल संरक्षण सेवा इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता या एक आरंभिक मूल्यांकन और/या बाल संरक्षण जांच करने के लिए बच्चे या परिवार के मामले की देखरेख करने वाले SWD/गैर-सरकारी संगठन के सामाजिक कार्यकर्ता को भी सूचित करना होगा। संदिग्ध यौन शोषण मामले के लिए, चाहे माता-पिता/देखभालकर्ता या कोई अन्य शामिल हो या नहीं, कर्मियों को उपरोक्त प्रक्रियात्मक मार्गदर्शिका के अनुसार मामले को संभालने की आवश्यकता है।

यह संबंधित माता-पिता/देखभालकर्ता पर आरोप लगाने या माता-पिता/देखभालकर्ता पर नकारात्मक छाप लगाने के लिए नहीं है बल्कि परिवार को इस प्रकार स्थिति की गंभीरता को समझने में सक्षम करने के लिए है जिससे परिवार कर्मियों के साथ सहयोग करे और बच्चे की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जितना जल्दी हो सके समस्या को हल करने के लिए अपनी स्वयं की क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग करे।

**सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार मामले को संभालता है और जांच करता है?**

जब कोई ऐसा बच्चा पाया जाता है जिसे संभावित रूप से नुकसान पहुंचाया गया/जिससे दुर्व्यवहार किया गया हो (शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, यौन शोषण से या उपेक्षा का शिकार होने सहित), सामाजिक कार्यकर्ता पहले मामले का अन्वेषण करेगा और आरंभिक मूल्यांकन करने के लिए बुनियादी जानकारी एकत्रित करेगा, और फिर तय करेगा कि क्या कोई बाल संरक्षण जांच करना है या नहीं या कि बाल संरक्षण जांच करने के लिए संबंधित इकाई को सूचित करना है। यदि सामाजिक

कार्यकर्ता को लगता है कि बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, जैसे कि चिकित्सा जांच या उपचार की व्यवस्था करना, या बच्चे को अस्थायी रूप से रहने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना, तो सामाजिक कार्यकर्ता पहले माता-पिता से संपर्क करेगा और जहां तक संभव हो सकेगा उन्हें और बच्चे को संबंधित प्रक्रियाएं समझाएगा। उन परिस्थितियों में जो बताती हैं कि कोई आपराधिक जुर्म किया गया हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता या संबंधित कर्मियों को मामले के जांच के लिए पुलिस को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

माता-पिता के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम कार्मिकों के साथ सहयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे को नुकसान/दुर्व्यवहार से बचाने के लिए माता-पिता को बच्चे को उचित देखभाल और निगरानी प्रदान करने की सुविधा के लिए चर्चा पर एक उचित योजना बनाने पर सभी पक्ष सहमत हो सकते हैं।

मामले को संभालने और जांच को लेकर आगे की जानकारी इस प्रकार है।

### **चिकित्सा जांच या उपचार**

यदि किसी बच्चे को चिकित्सा जांच या उपचार की आवश्यकता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता या संबंधित कर्मी बच्चे को अस्पताल प्राधिकरण के अंतर्गत किसी अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता, माता-पिता से प्राप्त सहमति के साथ, बच्चे को दुर्घटना और आपातकालीन विभाग में इंतजार से बचाने के लिए, बच्चे को किसी वार्ड में भर्ती कराने के लिए सीधे चिकित्सक से संपर्क कर सकता है। यदि आवश्यक हो, तो बच्चे को विस्तृत जांच, मूल्यांकन या अवलोकन के लिए अस्पताल में रहने की आवश्यकता हो सकती है।

### **अस्थाई देखभाल व्यवस्था**

यदि बच्चे को अस्पताल में जांच या उपचार की आवश्यकता नहीं है लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य जांच कर्मी ये मानते हैं कि बच्चे का उस समय घर लौटना उचित नहीं है, तो सामाजिक कार्यकर्ता माता-पिता से चर्चा करेगा और बच्चे के लिए अस्थायी रूप से रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगा।

### **जांच**

सामाजिक कार्यकर्ता एक गहन बाल संरक्षण जांच और परिवार की परिस्थितियों का मूल्यांकन करेगा, जिसमें बच्चे और उसके परिवारजनों के साथ साक्षात्कार और घर का दौरा तथा संगठनों के ऐसे कर्मियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना शामिल है जिनके पास बच्चे और उसके परिवार की जानकारी है। घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता बच्चे और उसके परिवारजनों की परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन करेगा, और बच्चे के नुकसान/दुर्व्यवहार के शिकार होने के जोखिम, बच्चे/परिवार की आवश्यकताओं, कठिनाइयों और क्षमताओं का

मूल्यांकन करेगा, साथ ही साथ उनके लिए एक फॉलो-अप प्लान तैयार करेगा।

जैसी जरूरत हो, अन्य पेशेवर भी चिकित्सा जांच, आपराधिक जांच या अन्य मूल्यांकन कर सकते हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सीय मूल्यांकन इत्यादि। संबंधित पेशेवर माता-पिता को एक विस्तृत स्पष्टीकरण देंगे और उन्हें जांच का उद्देश्य और महत्व समझने में मदद करेंगे। यदि घटना गंभीर है या कोई आपराधिक कृत्य किया हो सकता है, तो कर्मी को मामले को जांच के लिए पुलिस को संदर्भित करना आवश्यक है, भले ही माता-पिता/बच्चा ऐसा करने के लिए इच्छुक न हों।

### यदि माता-पिता उपरोक्त व्यवस्थाओं के लिए सहमति नहीं देते हैं

माता-पिता को समझने के लिए आग्रहपूर्वक कहा जाता है कि उपरोक्त व्यवस्थाएं बच्चे की सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए हैं। हम समझते हैं कि जांच के दौरान माता-पिता चिन्ता और असुविधा महसूस कर सकते हैं और उनके कर्मियों से अलग विचार हो सकते हैं। कर्मी माता-पिता के विचारों को ध्यान में रखेंगे। हालांकि, बच्चे की सुरक्षा की रक्षा करने और उसके सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा के लिए, भले ही माता-पिता कुछ व्यवस्थाओं के लिए सहमत नहीं हैं, संबंधित कर्मी बाल एवं किशोर संरक्षण अध्यादेश, Cap 213 के तहत बच्चे के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग करने पर विचार कर सकता है, बशर्ते परिस्थितियां ऐसी इजाजत देती हैं, जिसमें बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाना शामिल है।

अध्यादेश के प्रावधानों के आवाहन होने को लेकर आगे की जानकारी इस प्रकार है।

### चिकित्सा जांच या उपचार

यदि माता-पिता बच्चे के लिए चिकित्सा जांच या उपचार की व्यवस्था करने की सहमति नहीं देते हैं लेकिन जांच कर्मी को यह आवश्यक लगता है, तो बाल एवं किशोर संरक्षण अध्यादेश की धारा 34F(1) और (2), Cap 213 (PCJO) के अनुसार, समाज कल्याण निदेशक (DSW) द्वारा लिखित में अधिकृत कोई व्यक्ति या स्टेशन सार्जेंट या ऊपर की रैंक का कोई पुलिस अधिकारी जिसकी यह राय है कि बच्चा या किशोर जिसे देखभाल या संरक्षण की आवश्यकता नजर आ रही है उसे तत्काल चिकित्सा या शल्य चिकित्सा देखभाल या उपचार की आवश्यकता है, वह बच्चे या किशोर को अस्पताल ले जा सकता है। कोई बच्चा या किशोर जो अस्पताल में लाए जाने के बाद भर्ती कराया गया है उसे DSW द्वारा उस अस्पताल में लंबे समय तक के लिए रोक कर रखा जा सकता है क्योंकि चिकित्सा या शल्य चिकित्सा देखभाल या उपचार के उद्देश्य के लिए बच्चे या किशोर की उस अस्पताल में उपस्थिति आवश्यक है, और उसके बाद DSW उसे आश्रय स्थल में ले जा सकते हैं।

### **अस्थाई देखभाल व्यवस्था**

यदि जांच कर्मी की यह राय है कि उस समय बच्चे का घर वापस लौटना उचित नहीं है जबकि माता-पिता इस बात पर सहमत नहीं हैं कि बच्चे को अस्थायी रूप से किसी वैकल्पिक स्थान पर रहना चाहिए, तो PCJO की धारा 34E(1) के अनुसार, DSW द्वारा लिखित में अधिकृत कोई व्यक्ति या स्टेशन सार्जेंट या ऊपर की रैंक का कोई पुलिस अधिकारी किसी भी बच्चे या किशोर को, जिसे देखभाल या संरक्षण की आवश्यकता नजर आ रही है, आश्रय स्थल या ऐसे अन्य स्थान पर ले जा सकता है जिसे वह उचित मान सकता है। फिर वह अधिकारी 48 घंटों के भीतर बच्चे की देखभाल या संरक्षण आदेश के लिए अदालत में आवेदन करेगा।

### **संदिग्ध दुराचार पीड़ित बच्चे के संरक्षण पर मल्टी-डिसिप्लिनरी केस कॉन्फ्रेंस**

सामाजिक कार्यकर्ता और संबंधित कर्मी जांच करने और मामले के लिए चुनिंदा जानकारी प्राप्त करने के बाद एक मल्टी-डिसिप्लिनरी केस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। कॉन्फ्रेंस कथित अपराधी के अभियोजन के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं है, बल्कि इस मामले की देखरेख और जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पेशेवरों को, बच्चे की सुरक्षा की रक्षा और उसके सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और बच्चे तथा उसके परिवार के लिए फॉलो-अप प्लान हेतु अनुशंसा की गई कार्रवाईयों के साथ, अपने पेशेवर ज्ञान, प्राप्त की गई जानकारीयों और बच्चे के स्वास्थ्य, विकास, जीवन के मामलों से निपटने की क्षमता के बारे में चिंताओं और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बच्चे के माता-पिता/देखभालकर्ताओं की क्षमता को साझा करने की अनुमति देना है।

यदि समस्त आवश्यक जानकारी तैयार है, तो जहां तक व्यावहारिक है, संबंधित बच्चे की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके एक योजना तैयार करने के नजरिए के साथ, बाल संरक्षण जांच के लिए जिम्मेदार सामाजिक सेवा इकाई द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के 10 कार्य दिवसों के भीतर, कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।

मल्टी-डिसिप्लिनरी केस कॉन्फ्रेंस पर आगे की जानकारी इस प्रकार है।

#### **कॉन्फ्रेंस के सदस्य**

मल्टी-डिसिप्लिनरी केस कॉन्फ्रेंस आमतौर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा आहूत की जाती है। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सदस्यों में वे पेशेवर शामिल होते हैं जो मामले की जांच में भाग लेते हैं, जिनके पास बच्चे और उसके परिवार की जानकारी है या जो भविष्य में मामले में फॉलो अप कर सकते हैं, यानी कि:

- सामाजिक कार्यकर्ता
- चिकित्सा स्टाफ
- स्कूल कर्मी
- पुलिस अधिकारी
- नैदानिक मनोविज्ञानी
- संबंधित बच्चे या उसके परिवार को वर्तमान में सेवा प्रदान कर रहे पेशेवर
- अन्य पेशेवर जिन्हें जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है या मामले को भविष्य में संभाल सकते हैं

### कॉन्फ्रेंस किस तरह आयोजित की जाती है

कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे पेशेवर आमतौर पर जांच से प्राप्त की गई जानकारी और परिवार के बारे में अपनी जानकारी की अन्य सदस्यों को रिपोर्टिंग से शुरुआत करते हैं। इसके बाद कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा होती है:

- बच्चे की सुरक्षा की रक्षा के नजरिए से घटना की प्रकृति को निर्धारित करना
- संबंधित बच्चे (बच्चों) के साथ ही साथ परिवार के अन्य बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के वर्तमान/भविष्य के जोखिम स्तर और उनकी जरूरतों का मूल्यांकन करना
- मामले की श्रेणी को निर्धारित करना (क्या यह बाल संरक्षण का मामला है या नहीं)
- उपरोक्त चर्चा के निष्कर्षों के आधार पर, बच्चे की सुरक्षा की रक्षा या उसके सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा के लिए संबंधित बच्चे और उसके परिवार के फॉलो-अप प्लान के संबंध में अनुशंसा और व्यवस्था बनाना, बच्चे की देखभाल की व्यवस्था सहित और यह कि क्या बच्चे के लिए वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं
- मामले का फॉलो-अप करने के लिए जिम्मेदार इकाई और सामाजिक कार्यकर्ता का निर्धारण करना, फॉलो-अप प्लान को लागू करने में अन्य पेशेवरों की भूमिका और जिम्मेदारियां निरूपित करना, और जैसा उचित हो मामले के फॉलो-अप के लिए एक मूल गुप नियुक्त करना और मूल गुप की सदस्यता तय करना
- निर्धारित करना कि क्या बाल संरक्षण रजिस्ट्री में संबंधित बच्चे और/या उसके भाई-बहन(नों) की जानकारी दर्ज करना है या नहीं
- यदि आपराधिक जुर्म किया गया हो, तो यदि कॉन्फ्रेंस के पहले ऐसा न किया गया हो तो घटना की रिपोर्ट पुलिस में करने की आवश्यकता पर चर्चा करना। कृपया ध्यान दें कि कॉन्फ्रेंस का फोकस बच्चे और उसके परिवार के हितों की सुरक्षा करना है। कॉन्फ्रेंस के निर्णय का इस बात को लेकर पुलिस के निर्णय पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है कि आरोपी अपराधी(अपराधियों) पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं।

### फॉलो-अप प्लान में क्या-क्या शामिल किया जाता है

फॉलो-अप प्लान के मुख्य उद्देश्य बच्चे को नुकसान के जोखिम को कम या समाप्त करना और बच्चे की देखभाल और परवरिश में परिवार के कार्यों और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है ताकि वे बच्चे

की सुरक्षा की रक्षा करने में पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर सकें।

परिस्थिति और नुकसान/दुर्व्यवहार का शिकार होने वाले बच्चे और उसके परिवार की जरूरतों के आधार पर, फॉलो-अप प्लान में ये शामिल हो सकते हैं:

- बच्चे और उसके परिवार के लिए परामर्श सेवा
- बच्चे और उसके परिवार के लिए नैदानिक मनोविज्ञान और/या चिकित्सा मूल्यांकन और उपचार
- बच्चे और/या उसके भाई बहन(नों) की सुरक्षा की रक्षा या माता-पिता को बच्चे(बच्चों) की देखभाल या निगरानी से अस्थायी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दैनिक या आवासीय बाल देखभाल सेवा
- बाल और किशोर संरक्षण अध्यादेश की धारा 34(2), कैप 213 के अनुसार बच्चे और/या उसके भाई बहन(नों) की देखभाल और/या निगरानी के आदेश के लिए अदालत को आवेदन
- भावनात्मक समस्याओं, तनाव, जुआ, शराब, नशीली दवाओं का सेवन, इत्यादि से मुकाबला करने के लिए परिवार के सदस्य(यों) के लिए विशेष सेवाएं
- माता-पिता की शिक्षा, या माता-पिता-बच्चे की गतिविधियां या पाठ्यक्रम
- बच्चे के लिए सीखने में सहायता और पाठ्यक्रमोत्तर गतिविधियां
- परिवार के लिए वित्तीय या रोजगार सहायता
- जोखिम वाले अन्य परिवारजनों के लिए शरणार्थी केंद्र, अस्थायी आवासीय सेवा या अस्थायी देखभाल सेवा, इत्यादि
- अन्य सामुदायिक सहायता सेवाएं

मामले के फॉलो अप के दौरान, सामाजिक कार्यकर्ता बच्चे और उसके परिवार से संपर्क बनाएगा और जैसी और जब आवश्यकता हो संबंधित पेशेवरों से संपर्क बनाकर रखेगा ताकि नियमित तौर पर बच्चे और उसके परिवार की स्थिति की समीक्षा की जा सके और उचित सहायता प्रदान की जा सके। यदि आवासीय बाल देखभाल सेवा की व्यवस्था की गई है, तो सामाजिक कार्यकर्ता माता-पिता और बच्चे के साथ दौरे, बाहर जाने, घर जाने के अवकाश, इत्यादि के लिए व्यवस्थाओं की चर्चा करेगा, और देखभाल और परवरिश की उनकी समस्याओं को संभालने में परिवार की मदद करेगा ताकि जितनी जल्दी हो सके बच्चे का परिवार के साथ फिर से पुनर्मिलन हो सके।

**यदि बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का संदेह है, तो क्या अभिभावक या बच्चा कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकता है**

कॉन्फ्रेंस के दो भाग होते हैं। पहला भाग सदस्यों के बीच चर्चा के लिए है। दूसरा भाग सदस्यों की माता-पिता के साथ चर्चा के लिए है। सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत, संदिग्ध दुर्व्यवहार पीड़ित बच्चे के माता-पिता को कॉन्फ्रेंस के दूसरे भाग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कुछ मामलों में, बच्चे को भी आमंत्रित किया जा सकता है यदि उसे कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से फायदा होगा।

माता-पिता और/या बच्चे को कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का उद्देश्य उस मुद्दे पर चर्चा करना है जिससे कॉन्फ्रेंस संदर्भित है। उन्हें कॉन्फ्रेंस के नजरिए/अनुशंसाओं/निर्णयों की जानकारी देने के अलावा, खासतौर पर फॉलो-अप प्लान को लागू करने के लिए पेशेवरों के साथ सहयोग के तरीकों की माता-पिता की समझ को बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस में अनुशंसा किए गए फॉलो-अप प्लान पर उनकी राय पर भी विचार किया जाएगा।

हालांकि माता-पिता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है यदि उनकी उपस्थिति को सदस्यों द्वारा उचित नहीं माना जाता है (जैसे कि उनकी उपस्थिति बच्चे के सर्वोत्तम हितों के साथ गंभीर रूप से पक्षपात कर सकती है या कॉन्फ्रेंस की प्रक्रिया में दखलंदाजी कर सकती है, या स्वास्थ्य, मानसिक और भावनात्मक स्थितियां उन्हें चर्चा में प्रभावी रूप से शामिल होने में असमर्थ कर सकती हैं)।

यदि माता-पिता या बच्चा कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ले रहे हैं, तो वे, कॉन्फ्रेंस से पहले, जांच करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य सदस्यों को कॉन्फ्रेंस पर उनके विचार के लिए घटना और फॉलो-अप प्लान पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अध्यक्ष या सामाजिक कार्यकर्ता (कुछ सदस्यों के साथ मिलकर जैसी आवश्यकता हो), कॉन्फ्रेंस के बाद, माता-पिता या बच्चे को, कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णयों और अनुशंसाओं, के बारे में समझाएंगे। माता-पिता अभी भी अनुशंसाओं पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यदि आवश्यक होगा, तो सामाजिक कार्यकर्ता अन्य सदस्यों को उनके विचार बताएंगे।

**क्या अभिभावक अपने रिश्तेदारों या अन्य लोगों को साथ में लेकर कॉन्फ्रेंस में आ सकते हैं**  
कॉन्फ्रेंस के सदस्यों की सहमति के विषयाधीन, महत्वपूर्ण परिवार के सदस्य और रिश्तेदार जिन्हें बच्चे के बारे में ठोस जानकारी है और वे फॉलो-अप प्लान के निर्माण या क्रियान्वयन में योगदान देंगे, उन्हें भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, जो माता-पिता कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ले सकते उन्हें भाग लेने के लिए किसी प्रतिनिधि को भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह व्यक्ति माता-पिता की ओर से चर्चा में भाग या निर्णय नहीं ले सकता है। कॉन्फ्रेंस के बाद, अध्यक्ष या सामाजिक कार्यकर्ता (कुछ सदस्यों के साथ मिलकर जैसी आवश्यकता हो), माता-पिता को, कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णयों और अनुशंसाओं, के बारे में समझाएंगे।

**अभिभावक किस तरह कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं**

कॉन्फ्रेंस के पहले, अध्यक्ष या जांच करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता माता-पिता को कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों, सदस्यता और कार्यवाहियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान, माता-पिता परिवार की पृष्ठभूमि जानकारी को पूरक कर सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं साथ ही साथ जोखिम और आवश्यकता मूल्यांकन, फॉलो-अप प्लान के निर्माण और/क्रियान्वयन पर राय दे सकते हैं। माता-पिता अध्यक्ष या सदस्यों से कॉन्फ्रेंस में चर्चा किए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग भी कर सकते हैं।

### **कॉन्फ्रेंस के बाद अभिभावकों को क्या करना चाहिए**

कॉन्फ्रेंस निर्धारित करेगी कि किस इकाई का सामाजिक कार्यकर्ता और कौन से पेशेवर भविष्य में मामले पर फॉलो-अप करेंगे। माता-पिता को मामले का फॉलो-अप करने वाले जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य पेशेवरों के संपर्क में रहने, और जहां तक संभव हो सके बच्चे की सुरक्षा और परिवार की भलाई सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। माता-पिता का सहयोग और सक्रिय भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।

### **यदि माता-पिता कॉन्फ्रेंस के निर्णय से असहमत हों**

कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले माता-पिता कॉन्फ्रेंस में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि, भले ही माता-पिता ने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया हो अथवा नहीं, वे कॉन्फ्रेंस के बाद, यदि आवश्यक हो, तो अध्यक्ष और/या जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

यदि माता-पिता कॉन्फ्रेंस में निर्धारित की गई घटनाओं की प्रकृति से असहमत हैं, तो अध्यक्ष या जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता माता-पिता को निर्णय के कारणों के बारे में समझाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि माता-पिता समझ सकेंगे कि घटना की प्रकृति कॉन्फ्रेंस के सदस्यों द्वारा दी गई पेशेवर सलाह के आधार पर बच्चे की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की रक्षा करने के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित की गई है। हालांकि घटना की प्रकृति की व्याख्या पर माता-पिता के विचार सदस्यों से थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में इन समस्याओं को परामर्श या अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से कम करने के लिए संबंधित समस्या पर आम सहमति प्राप्त करना सबसे ज्यादा मायने रखता है।

यदि माता-पिता कॉन्फ्रेंस द्वारा अनुशंसित फॉलो-अप प्लान की कुछ व्यवस्था(ओं) से असहमत हैं जो कि बच्चे की सुरक्षा और/या देखभाल से संबंधित हैं, तो सामाजिक कल्याण विभाग के सामाजिक कार्यकर्ता या पुलिस को बाल और किशोर संरक्षण अध्यादेश की धारा 34(2), Cap 213 के अनुसार बच्चे की देखभाल या संरक्षण आदेश के लिए अदालत को आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है। माता-पिता सुनवाई पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तब अदालत प्रासंगिक व्यवस्थाओं पर निर्णय देगी। भले ही माता-पिता फॉलो-अप प्लान से असहमत हैं और संबंधित संगठन में शिकायत दर्ज कराते हैं, जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता और संबंधित पेशेवर जहां तक व्यावहारिक होगा फॉलो-अप प्लान को तब भी जारी रखेंगे।

### **यदि अभिभावक किसी खास पेशेवर के संभालने के ढंग से असंतुष्ट हैं**

संदिग्ध दुर्व्यवहार पीड़ित बच्चे के मामले को संभालने के लिए जिम्मेदार पेशेवर माता-पिता को उठाए जाने वाले/उठाए गए कदमों और उनके पीछे के कारणों को समझाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेंगे, इस उम्मीद में कि माता-पिता समझ सकते हैं और सहयोग करेंगे। किसी खास पेशेवर द्वारा उठाए गए कदमों से असंतुष्ट



माता-पिता उस पेशेवर के संगठन को अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं या शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।